राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)
फैक्स- 01509- 223877
दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420, 223876
मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12
H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi - 12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 220006, 221420, 223876
e-mail – CSFSURATGARH @rediffmail.com

No. CSF/SOG/5-3/Gen./19-

Dated _____ April, 19.

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम की ईकाई केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के खण्ड–2 की सफाई एवं देखभाल हेतु निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 25–04–2019 को दिन के दो बजे तक आमंत्रित की जाएगी है । प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सांय तीन बजे उपसिथित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायगी । ठेके पर सफाई एवं देखभाल की अवधि एक वर्ष तक होगी, जिसे आवश्यकतानुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है । निविदा में भाग लेने हेतु पूर्व धरोहर राशि के रूप में अखरे रूपये 2000–00 निविदा के साथ जमा / संलग्न करना होगा । असफल निविदादाता की धरोहर राशि चैक द्वारा वापिस की जाएगी एवं सफल निविदाता की धरोहर राशि संतोषजनक ढग से पूरा होने पर बिना व्याज के लौटा दी जाएगी । किसी भी प्रकार का टैक्स जो देय होगा उसे सफाई ठेकेदार वहन करेगा । निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्ते रूपये 118–00 (रूपये 100–00 टेण्डर की कीमत एवं रूपये 18–00 जीएसटी) जमा करवाकर केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सुवह 10–00 बजे से सांय 5–00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं व निगम की बेबसाईट www.indiaseeds.com पर निविदा सम्बन्धी सूचना देखी जा सकती है ।

प्रबन्धक (मा0सं0)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

सफाई कार्य का ठेका देने के सम्बन्ध में नियम व शर्ते

1– सफाई कार्य एवं हौदी खाली करने का क्षेत्र अग्रांकित है :– केन्द्रीय कालोनी खण्ड–2, डिस्पेन्सरी, खण्ड–2 कैम्पस, वर्कशापकैम्पस ।

2– इन क्षेत्रों में सफाई का कार्य करने हेतु निविदा प्रति माह की दर से दिनांक 25–04–2019 को सांय 2–00 बजे तक स्वीकार की जायेगी जो उसी दिन सांय 3–00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी । निविदा के साथ रूपये 2000–00 धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि एन0एस0सी0 लिमिटेड, सूरतगढ़ को देय हो साथ में संलग्न होना चाहिए ।

3– सफाई कार्य हेतु व्यक्तियों का प्रबन्ध करने एवं समय पर काम करवाने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी तथा उन व्यक्तियों को सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों / केयरटेकर के निर्देशानुसार कार्य करना होगा । सफाई का कार्य प्रातः 8–00 बजे से प्रारम्भ करना होगा ।

4– ठेकेदार को सही प्रवृति के व्यक्तियों का प्रबन्ध करना होगा, उसके द्वारा लगाया गया कोई भी व्यक्ति अपराधिक / झगडालू प्रवृति का नहीं होना चाहिए । अगर ऐसा होता है तो तुरन्त उस व्यक्ति को हटाना होगा एवं मारपीट जैसी हरकत के लिए सफाई ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।

5– सफल ठेकेदार को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (Agreement) रूपये 100–00 (रूपये एक सौ के नॉन–ज्यूडीशियनल स्टाम्प पेपर पर करना होगा जिसमें सफाई कार्य के ठेके के नियम एवं शर्ते अंकित रहेगी ।

6– असफल निविदादाताओं / बोलीदाताओं की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7– सफल ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि (Security Deposit) के रूप में समायोजित कर ली जायेगी, जो कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने के पश्चात लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

8– ठेकेदार को पिछले माह का बिल अगले माह में सम्बन्धित केयर टेकर के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जिस पर सफाई ठेकेदार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

9– अगर सफाई ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं होता है तो उसके लिए उचित राशि उसके बिल से काटी जायेगी । अगर ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो सफाई कार्य का ठेका किसी अन्य को दे दिया जायेगा उससे अगर फार्म को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसकी अमानत राशि एवं बकाया बिलों से की जायेगी ।

10– सफाई कार्य के लिए जो भी औजार, सामान इत्यादि प्रयोग में आता है वह ठेकेदार का होगा ।

11– सफाई कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।

12– टेण्डर के साथ पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करनी आवश्यक है ।

13– कोई भी सशर्त टेण्डर स्वीकार्य नहीं है ।

14– उपरोक्त ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मामला निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

15– बाल एवं श्रम अधिनियमानुसार बच्चों व शराब पीए हुए व्ययक्तियों को सफाई कार्य हेतु खण्ड–2, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के क्षेत्र में लाना व उनसेकार्य करवाना सख्त मना है ।

16– सफाई ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे सफाई ठेकेदार के नाम निदेशक की इजाजत के बगैर स्थानान्तरण नहीं कर सकता ।

17– किसीकारण से सफाई ठेकेदार के बिल के भुगतान में देरी होने पर भी सफाई ठेकेदार को कार्य करवाना होगा ।

18– सफाई ठेकेदार को उसके लगाए गए व्यक्तियों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी भी सफाई ठेकेदार की होगी एवं भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि फार्म द्वारा कभी भी जॉचा जा सकता है ।

19– सफाई ठेकेदार को हाउसकीपिंग / सफाई कार्य से सम्बन्धित 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है ।